

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-1/2011/3/एक

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय-अधिकारियों की किसी राजनैतिक दल, राजनैतिक विद्यार्थी संगठनों के कार्यक्रम में उपस्थिति।

संदर्भित ज्ञापन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि शासकीय सेवकों द्वारा छात्र संगठनों की सदस्यता ग्रहण करना अथवा उनके कार्यक्रमों/कार्यक्रमों में भाग लेना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-5 का उल्लंघन है। इनमें से किसी भी छात्र संगठन के कार्यक्रमों में भाग लेने पर संबंधित शासकीय सेवकों, अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र होगा।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि शासकीय सेवकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। कृपया आपके विभाग के अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में उपरोक्त निर्देश लाते हुए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी राजनैतिक संगठन के बैनर के अंतर्गत कार्यक्रम में शासकीय सेवकों का अतिथि के रूप में सम्मिलित होना, भी इसी प्रकार का उल्लंघन माना जावेगा।

3  
17/3/2011  
(अकीला हशमत)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

CPD

19/4/11

समन्वय (Y)

8/5  
8/4

A-20 (Coordination)


PO/AM/71  
8/4

क्रमांक सी-5-1/2011/3/एक  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक/7 मार्च, 2011

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त जनरल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/  
ग्वालियर/जबलपुर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी,  
भोपाल।  
अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
17/3/2011

(अकीला हशमत)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

लोक शिक्षण संचालनाय  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/समन्वय/डी/५६/२००९-२०१०/८५ भोपाल,दिनांक ३०/४/११  
प्रतिलिपि--

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभभोपाल।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर,इन्दौर,भोपाल ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी विधि प्रकोष्ठ ग्वालियर ।
7. प्राचार्य शासकीय तात्याटोपे शिक्षा महाविद्यालय,शिवपुरी ।
8. योग. विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र ,1464 टी.टी.नगर,भोपाल ।
9. अधीक्षक वैद्यशाला उज्जैन मध्यप्रदेश ।
10. मुख्य पुरतकालय इन्दौर ,भोपाल सेवा एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
11. प्रादेशिक सचिव भारत स्कूट एव गाइड एसोसिएशन भोपाल ।
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश ।
13. समस्त अधिकारी अधीक्षक ,सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय,  
मध्यप्रदेश को और सूचनार्थ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु अगेषित।

  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण संचालनालय